संख्या-190/2025/आई/944296/23-1-25-23-1002(002)/103/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::29 अप्रैल, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत नये कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में शासनादेश संख्या-186/2025/आई/924116/23-1-25/001-23-1002(002)/103/2025, दिनांक 31.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न मण्डल के विभिन्न जनपदों के 06 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-4 (कार्य का नाम) में क्रमांक-1 पर अंकित कार्य (जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड बंकी में लखनऊ-बाराबंकी-गोरखपुर-मोकामा पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-28 के किमी0 22.700 से 26.000 एवं 29.700 से 30.500 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य) के स्थान पर (जनपद लखनऊ में विकास खण्ड बंकी में लखनऊ-बाराबंकी-गोरखपुर-मोकामा पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-28 के किमी0 22.700 से 26.000 एवं 29.700 से 30.500 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य) अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-186/2025/आई/924116/23-1-25/001-23-1002(002)/103/2025, दिनांक 31.03.2025 द्वारा स्वीकृत जनपद बाराबंकी के उपर्युक्त 01 कार्य हेतु शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-4 के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य के नाम में जनपद लखनऊ के स्थान पर जनपद बाराबंकी पढ़ा व समझा जाय। उक्त शासनादेश में अंकित कार्यों की लागत एवं अन्य तथ्य व विवरण तथा शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3- विषयगत शासनादेश संख्या-186/2025/आई/924116/23-1-25/001-23-1002(002)/103/2025, दिनांक 31.03.2025 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-190/2025/आई/944296(1)/23-1-25-23-1002(002)/103/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।